

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 03/EXAM/APO/EP-I/2026-27

दिनांक : 27.05.2026

आयोग द्वारा गृह विभाग (अभियोजन) के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution Officer) के कुल 371 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में संशोधन किया जा सकता है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

| प्राथमिकता क्रम | No. of Post (s) | Gen. (UR) |         |    |    | S.C. |         |    |    | S.T. |         |    |    | O.B.C. |         |    |    | M.B.C. |         |    |    | E.W.S. |         |    |    |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|----|----|------|---------|----|----|------|---------|----|----|--------|---------|----|----|--------|---------|----|----|--------|---------|----|----|
|                 |                 | GEN.      | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN. | GEN. WE | WD | DV | GEN.   | GEN. WE | WD | DV | GEN.   | GEN. WE | WD | DV | GEN.   | GEN. WE | WD | DV |
| 01              | NON SA-355      | 110       | 31      | 12 | 3  | 29   | 6       | 6  | 1  | 21   | 5       | 2  | 1  | 53     | 15      | 6  | 2  | 12     | 4       | 1  | 0  | 25     | 7       | 3  | 0  |

Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. (Gen./UR-17, SC-7, ST-5, OBC-9, MBC-2, EWS-4)

2- (i) B/LV-5 (ii) H.H.-5 (iii) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, LC, DW, AAV, SD/SI-4 (iv)-(a) S.L.D (b) Mul.Dis. - 4

नोट-1 भूतपूर्व सैनिक हेतु दर्शाये गये उक्त पदों में से Gen./UR-8, SC-3, ST-2, OBC-3, MBC-1, EWS-2 पद के भर्ती वर्ष 2024 के बैकलॉग के हैं।

2. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु दर्शाये गये उक्त पदों में से (i) B/LV-2 (ii) H.H.-2 (iii) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, LC, DW, AAV, SD/SI-2 (iv)-(a) S.L.D (b) Mul.Dis. - 1 पद भर्ती वर्ष 2024 के बैकलॉग के हैं।

3. उक्त तालिका में दर्शाये गये अनुसूचित जाति के कुल 42 पदों में से 27 पद, अनुसूचित जनजाति के कुल 29 पदों में से 22 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 76 पदों में से 30 पद एवं अति पिछड़ा वर्ग के कुल 17 पदों में से 8 पद भर्ती वर्ष 2024 के बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।

बारा जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति का उक्त 01 पद भर्ती वर्ष 2024 के बैकलॉग का है, जिसे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।

GEN.-1, WE-0, WD-0, DV-0

नोट- बारा जिले की समस्त तहसीलों की सहरिया आदिम जाति का उक्त 01 पद भर्ती वर्ष 2024 के बैकलॉग का है, जिसे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।

|    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 02 | SA- 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. (Gen./UR-0, SC-0, ST-01,)

2- (i) B/LV-0 (ii) H.H.-0 (iii) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, BLA, LC, DW, AAV, SD/SI-0 (iv)-(a) S.L.D (b) Mul.Dis. - 0

नोट-उक्त तालिका में दर्शाये गये अनुसूचित जनजाति के कुल 11 पदों में से कुल 04 पद भर्ती वर्ष 2024 के बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।

**Abbreviations Used:** SA - Scheduled Area, GEN - General, U.R. - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST - Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC - More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD - Widow, DV - Divorcee, B/LV - Blindness/Low Vision, H.H. - Hard of Hearing, OL - One Leg, OA - One Arm, BA - Both Arms, BL - Both Leg, OAL - One Arm and One Leg, BLOA - Both Legs & One Arm, BLA - Both Legs & Arms, LC - Leprosy Cured, DW - Dwarfism, AAV - Acid Attack victims, SD/SI - Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

## विशेष नोट :-

अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

**टिप्पणी:-** यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी।

## नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेहन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 तथा परिपत्र दिनांक 27.05.2022 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

## अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:

- Degree in Law (Professional) or integrated Law Course from a University established by law in India.
- Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.

## Note:

- अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत होने वाले/हो चुके अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने संबंधी प्रावधान विहित नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| पे-मैट्रिक्स लेवल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay - 4200/-)<br>नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| आयु सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।<br>नोट :- उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2024 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 को आधार मानकर की गई थी। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः उक्त पद हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2027 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अधिकतम आयु में देय छूट                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी<br>Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 वर्ष<br>Five Years                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सामान्य वर्ग की महिला<br>Women Candidates belonging to General Category                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 वर्ष<br>Five Years                       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी<br>Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 वर्ष<br>Ten Years                       |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला<br>Widow and divorced Women<br><b>Explanation:</b> - In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.<br>राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अधिकतम आयु सीमा नहीं<br>No Upper age limit |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।<br>The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।<br>The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him/her in case of ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।<br>The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances, had they been eligible as such at the time of their initial appointment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।<br>The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within prescribed age limit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।<br>The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission/Board had they been eligible as such the time of the joining the Commission in the Army.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Sustantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।<br>The upper age limit for the persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities, Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेदन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।<br>According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years to Ex-servicemen; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.<br>स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेदन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। |                                            |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।<br>According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018 the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| नोट -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 2. विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्रितियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>अन्य विवरण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चयन प्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तकों की मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में प्रारम्भिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के रूप में संबंधित सेवा नियम के Schedule-II के अनुसार ली जायेगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्रितियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या का पंद्रह गुना होगी किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने वही अंक अर्जित किये हो जो निम्नतर रेंज के लिए आयोग द्वारा नियत किये जायें, प्राप्तकर्ता को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि आयोग की यह राय हो कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिये साधारण मानदण्ड के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो आयोग द्वारा संबंधित सेवा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा की योजना के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध करवा दी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| परीक्षा स्थान एवं माह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आवेदन अवधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दिनांक 08.06.2026 से दिनांक 07.07.2026 रात्रि 12:00 बजे तक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आवेदन प्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे।</li> <li>2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु स्वयं की लाईव फोटो, अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम (यदि आधार में उपलब्ध हो), जन्म तिथि, लिंग की प्रविष्टि आधार कार्ड/जनआधार कार्ड में उपलब्ध विवरण के आधार पर करते हुए केवाईसी अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके पश्चात् अन्य विवरण निजी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी OTR प्रोफाइल में दर्ज करते हुए OTR पूरा करना होगा।</li> <li>3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR में केवाईसी प्रक्रिया की चुकी है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।</li> <li>4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन बिना आधार/जनआधार में संशोधन कराये किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनआधार में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/जनआधार की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।<br/><b>Note:</b> ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार/जनआधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम (यदि आधार में उपलब्ध हो), जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।</li> <li>5. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में कैप्चर (Capture) की गई लाईव फोटो स्वतः ही आवेदन में नियत स्थान पर फेच हो जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें। फोटो स्पष्ट न होने पर पुनः ओटीआर में स्पष्ट फोटो कैप्चर (Capture) करें।</li> <li>6. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो ओटीआर में अपलोड करना अनिवार्य होगा, जो स्वतः ही आवेदन में फेच होगी। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।</li> <li>7. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें।</li> <li>8. अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।</li> <li>9. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण ओटीआर/आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।</li> <li>10. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</li> <li>11. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</li> <li>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डिबार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।</li> <li>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</li> <li>14. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे।</li> <li>15. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</li> <li>16. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।</li> </ol> |
| <b>ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-</b> ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में संबंधित दस्तावेज (आधार/जनआधार) जिसके आधार पर जिसने ओटीआर बनाया है में संशोधन कर स्वयं के स्तर से ही ओटीआर में उपलब्ध Update details from Aadhar/Janaadhar पर क्लिक कर संशोधन कर सकता है, अन्य विवरण जो आवेदन पत्र में ओटीआर प्रोफाइल से फेच हुए हैं उनमें ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन उपरान्त ही आवेदन पत्र में संशोधित किये जा सकते हैं। अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।</li> <li>2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी ऊपर बताई गई प्रक्रिया अनुसार संशोधन कर सकता है।<br/><b>Note:</b> विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।</li> <li>3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में कोई संशोधन संबंधित</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाईन/ऑनलाईन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

|                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी -                                                                      | रुपये 600/- |
| 2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी - | रुपये 400/- |
| 3. दिव्यांगजन अभ्यर्थी -                                                                                                                                          | रुपये 400/- |

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. कार्मिक (क-2) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 19.04.2023 से पूर्व जिन अभ्यर्थियों द्वारा वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं।

(i) कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750/- रुपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकबारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।

(iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।

(iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अभ्यर्थी के द्वारा राशि रुपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दियागंजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दियागंजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दियागंता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दियागंजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दियागंता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दियागंता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दियागंता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दियागंता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

1. The examination scheme for recruitment to the post of Assistant Prosecution Officer shall consist of an objective type preliminary examination and a written main examination.
2. The preliminary examination shall be objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for law Paper and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The marks obtained in the preliminary examination shall not be counted towards the final selection.
3. The main examination shall consist of the following subjects:-

| Paper | Subjects                                             | Marks    | Time    |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|
| I     | Law                                                  | 300      | 3 Hours |
| II    | Language –<br>1. General Hindi<br>2. General English | 50<br>50 | 2 Hours |

4. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%: Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आभेलेन) नियम, 1988 तथल राजस्थलन नलःशक्तजन अधलकार नलरुत, 2018 में वलहत प्रलवधलनलनुसलर भूतपूर्व सैनलकों एवं वलशेष डुगडुजन कु नूततड उत्तीर्णलकों में छूट/रलडलत दी डलडेगी।
5. The standard of the paper-II will be that of Senior Secondary level.
6. It shall be compulsory to appear in each and every paper of written test.
7. Law paper is designed to test practical knowledge of the candidates in criminal law and procedure and framing charges in criminal cases.
8. The syllabus for competitive examination shall include the following :-

| Paper          | Subject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paper-I<br>Law | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Indian Penal Code, 1860;</li> <li>2. The Indian Evidence Act, 1872;</li> <li>3. The Code of Criminal Procedure, 1973;</li> <li>4. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS);</li> <li>5. The Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023 (BSA);</li> <li>6. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS);</li> <li>7. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989;</li> <li>8. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012;</li> <li>9. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015;</li> </ol> |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | 10. The Probation of Offenders Act, 1958;<br>11. The Arms Act, 1959;<br>12. The Rajasthan Excise Act, 1950;<br>13. The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992; and<br>14. The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022. |
| Paper – II | Language | 1. General Hindi<br>2. General English                                                                                                                                                                                                                                                                      |

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाईल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा अन्तिम दिवसों में किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवाये। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की रिवित के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करते समय यदि अभ्यर्थी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्तों के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- किसी भर्ती परीक्षा में अस्थायी रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निशक्तता प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाकक्ष में परीक्षा सामग्री/प्रश्नपत्र/परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि/संदेह होने पर लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा परिसर में व्यवधान/हंगामा करना/हंगामों का प्रयास करना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देने हेतु प्रेरित करना/दुष्प्रेरण का प्रयास करने पर संबंधित अभ्यर्थी के लिए इस परीक्षा को निरस्त करते हुए उसे आजीवन डिबार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती) में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेंसियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
20. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

#### प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग\* के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

\* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।

2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता\* (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण पत्र नियमानुसार बना हुआ/धारित होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंग प्रमाण पत्र (यथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

\*नोट:-कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.2025 के अनुसार जो अभ्यर्थी यूनिफ़ॉर्म डिसेबिलिटी आई डी (U.D.I.D.) प्रारंभ होने से पूर्व के प्रमाण पत्र धारक हो उनको भी पुनः सत्यापन कर स्वावलम्बन पोर्टल पर यूनिफ़ॉर्म डिसेबिलिटी आई डी (U.D.I.D.) प्रमाण पत्र जारी कराया जाना आवश्यक है।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्राधान्य - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्ति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेहन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"

9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-**

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**विशेष नोट :-**

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर परीक्षार्थियों हेतु उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(रामनिवास मेहता)  
सचिव

क्रमांक: F. 8-A ( 04 )EXAM//APO/EP-I/2026-27

दिनांक : 27.05.2026

प्रतिलिपि:- निदेशक, अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक-स.3(2)(1)स्था/एपीओ/नियु./अभि./2018/00530 दिनांक 20.05.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त सचिव